(1)

103

न्यायालय – माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निग -490-I-16

प्र0क्र0 / 2016, नि0

गिर्राज पुत्र भैयाराम नाबालिग सर. पिता भैया राम पुत्र मिश्री लाल प्रजापति निवासी ग्राम सकराया तहसील अटेर जिला- भिण्ड (म0प्र0) ..... आवेदक

बनाम

1. लीलावती पत्नी रामसनेही
2. रामसनेही पुत्र मिश्रीलाल प्रजापति निवासी- ग्राम सकराया तहसील अटेर जिला- भिण्ड (म0प्र0)... अनावेदकगण
3. रामप्रवेश पुत्र भैयाराम प्रजापति निवासी ग्राम सकराया तहसील अटेर जिला-भिण्ड ... तरतीबी अनावेदक

श्री बी.के. त्रिपाठी - अभिभाषक द्वारा दिनांक 5-2-16 को प्रस्तुत।
5-2-16
रीडर आफ कोर्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0भू0रा0सं0 विरुद्ध आदेश न्यायालय एस.डी.ओ. अटेर जिला भिण्ड प्र0क्र0 11/10-11 अ0मा. दिनांक 14/1/2016,

श्रीमान् जी

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यहकि, ग्राम सकरायाव ग्राम रमा तहसील अटेर जिला भिण्ड में मृतक भूमिस्वामी मिश्री लाल पुत्र बद्री प्रसाद प्रजापति के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि थी । उन्होंने अपने जीवन काल में दिनांक 17.5.2004 को एक वसीयतनामा उक्त

/2//

(क्र. प. उ.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 490/I/2016 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6—1—2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। अनावेदक क.1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जे.एस. परिहार उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अटेर, जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 11/10—11/अ.मा. पारित आदेश दिनांक 14—1—2016 से परिवेदित होकर, म0प्र0भू—राजस्व संहिता—1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, तहसील अटेर वृत सुरपुरा के समक्ष आवेदक एवं अनावेदक कमांक 3 द्वारा रजिस्टर्ड बसीयतनामा दिनांक 17—5—2004 के आधार ग्राम सकराया व ग्राम रमा तहसील अटेर जिला भिण्ड स्थित भूमि के भूमिस्वामी मृतक मिश्रीलाल बसीयतकर्ता के स्थान पर नामान्तरण किये जाने हेतु दो प्रथक प्रथक आवेदन पेश किये गये। उक्त आवेदन पर से तहसीलदार द्वारा प्र0क0 8/06—07/अ—6 एवं प्र0क0 9/06—07/अ—6 पर दर्ज किया जाकर, आदेश दिनांक 4—12—2006 पारित कर नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक —1 द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड के समक्ष स्वमेव निगरानी की कार्यवाही करने हेतु आवेदन पेश किया गया जिस पर कलेक्टर ने प्र0क0 79/06—07/नि.मा.	

पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 10–2–2011 को निगरानी निरस्त कर अनावेदक क.–1 को 15 दिवस में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया जिसके पालन में अनावेदक क–1 एवं अनावेदक क.–2 ने तहसीलदार के नामान्तरण आदेश दिनांक 4–12–2006 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 5 वर्ष वाद अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 11/ 10–11/अ. मा. पर दर्ज की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 14–1–2016 पारित कर विलम्ब छमा करते हुये उक्त अपील को समय सीमा में मान्य किया गया है। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण तहसीलदार अटेर वृत सुरपुर के नामान्तरण आदेश दिनांक 4–12–2016 से प्रारंभ हुआ जिसमें विवाद ग्राम सकराया व ग्राम रमा तहसील अटेर जिला भिण्ड स्थित भूमि से संबंधित है। उक्त भूमि के मूल भूमिस्वामी मृतक मिश्रीलाल थे जिनके द्वारा आवेदक के पक्ष दिनांक 17–5–2004 को बसीयतनामा निष्पादित किया गया था। मिश्रीलाल की मृत्यु के बाद आवेदक एवं अनावेदक क–3 द्वारा तहसील न्यायलय में बसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु दो प्रथक प्रथक आवेदन प्रस्तुत किये गये जिसे तहसीलदार द्वारा विधिवत दर्ज किया जाकर गवाहों के कथन अंकित किये गये एवं अयं निष्पक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत की गयी इसके अलावा अनावेदक क–2 रामसनेही पुत्र मिश्रीलाल ने भी दोनों प्रकरणों में अपनी साक्ष्य देकर उपरोक्त बसीयतनामा को सही मानकर नामान्तरण के

लिए अपनी सहमति दी जिस पर से तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 4—12—2006 को नामान्तरण आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक—1 द्वारा कलेक्टर के समक्ष स्वमेव निगरानरी की कार्यवाही की गयी जिसे कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 10—2—2011 को निगरानी निरस्त की जाकर, अनावेदक क्र.—1 को 15 दिवस में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। परन्तु कलेक्टर के आदेश का अवलोकन किये बगैर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक क्र—2 को भी अवैधानिक रूप से अवधि का लाभ दिया गया। इस प्रकरण में अनावेदक क्र—1 लीलावती मृतक भूमिस्वामी मिश्रीलाल की वारिस न होने से हितबद्ध पक्षकार न होकर उसे अपील करने का अधिकार नहीं है। अनावेदक क्र.—2 द्वारा 5 वर्ष विलम्व से अपील प्रस्तुत की गयी है, और उसके द्वारा म्याद के संबंध में बिलम्व क्षमा हेतु आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में 1989 आर. एन. 243 गोदावरी बाई बनाम विमलाबाई, ए.आई.आर. 1962 सुप्रीम कोर्ट 361 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि— धारा—5 विलम्व के लिए माफी देना प्रत्येक दिन के विलंम का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पर्याप्त कारण सावित नहीं। पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिये बिना विलंव क्षमा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में 2000 आर. एन. 153 हरी सिंह विरूद्ध दुल्ला में निम्न न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है—

धारा—5 विलंव की माफी घ्यान दिया जाना चाहियें कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जायें तथा अन्य का अहित नहीं हो।

धारा–5 अधिनियम के उपबंध उद्वेश्य जिस पक्षकार के पक्ष में विनिश्चय है उसे उसकी अंतिमता का अहसास हो विलंव की माफी से ऐसी अंतिमता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा अनावेदक क.–2 द्वारा तहसील न्यायालय में अपने कथन अंकित कराकर नामान्तरण में सहमति व्यक्तम की गयी थी। तहसील न्यायालय द्वारा दो प्रथक प्रथक प्रकरण दर्ज किये जाकर आदेश पारित किया गया था उक्त दोनेां आदेशों की प्रथक प्रथक दो अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इन सभी तथ्यों पर विचार किये बगैर अनुविभगीय अधिकारी ने विधि विरूद्ध तरीके से आदेश दिनांक 14–1–2016 को अनावेदक कमांक–1 व 2 की अपील में विलम्व छमा किया जाकर, अपील समय सीमा में मान्य की है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश किसी भी दृष्टि से स्थिर रखे जाने येाग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी अटेर, जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 11/10–11/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 14.1.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर, तहसीलदार अटेर वृत सुरपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–2006 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता हैं।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश,ग्वालियर